



# बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लि०, पटना

(बिहार सरकार का एक उपक्रम)

पश्चिमी बोरिंग कैनल रोड, पटना।

## ॥ कार्यालय आदेश ॥

कार्यालय आदेश सं०-.....२७३.....

1/स्था/विविध-8-10-121/2014

/पटना, दिनांक- 20/9/19

श्री सरोज प्रसाद सिंह, सेवानिवृत्त आशुलिपिक सह-टंकक-सह रोकड़पाल, बिहार राज्य जल पर्षद (विघटित) को विभिन्न आरोपों में तत्कालिन प्रबंध निदेशक द्वारा कार्यालय आदेश सं०-121 दिनांक-07.05.2015 सह पठित ज्ञापांक-779 दिनांक-07.05.2015 के माध्यम से निलंबित किया गया था और उनका मुख्यालय अधीक्षण अभियंता गंगा परियोजना प्रमंडल सं०-1 निर्धारित किया गया था। उनके विरुद्ध प्रपत्र 'क' गठित करते हुए श्री वाजिद अंसारी, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, प्रमंडल सं०-1 पटना को संचालन पदाधिकारी तथा श्री आनंद कुमार चंदन, सहायक अभियंता, भागलपुर को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया था। संचालन पदाधिकारी को निर्देशित किया गया था कि विभागीय कार्यवाही की प्रक्रिया नियमानुकूल समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन समर्पित करें इसी बीच श्री सरोज प्रसाद सिंह दिनांक-31.12.2015 को सेवानिवृत्त हो गये हैं। सेवानिवृत्ति की तिथि तक उनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को पूर्ण नहीं किया गया। इसी बीच श्री सरोज प्रसाद सिंह द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना में सेवान्त लाभ के भुगतान के लिए C.W.J.C सं०-2403/2018 (सरोज प्रसाद सिंह बनाम बिहार सरकार एवं अन्य) दाखिल किया गया था, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-14.15.2019 को आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश में संयुक्त सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को श्री सिंह के पेंशन आदि के भुगतान का निदेश दिया गया है।

02. इस आलोक में श्री सरोज प्रसाद सिंह के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए श्री रामचन्द्र प्रसाद, मुख्य अभियंता बुडको को संचालन पदाधिकारी एवं श्री राजेश कुमार कार्यपालक अभियंता भागलपुर नगर निगम को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है। संचालन पदाधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि विभागीय कार्यवाही की प्रक्रिया यथाशीघ्र सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें, ताकि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन संयुक्त सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा किया जा सके।

ह०/-

प्रबंध निदेशक

ज्ञापांक-५७११

/पटना, दिनांक- 20/9/19

1. प्रतिलिपि :- श्री रामचन्द्र प्रसाद, मुख्य अभियंता बुडको, श्री राजेश कुमार कार्यपालक अभियंता, भागलपुर नगर निगम, संयुक्त सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. प्रतिलिपि:- श्री सरोज प्रसाद सिंह, सेवानिवृत्त आशुलिपिक सह-टंकक-सह रोकड़पाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. प्रतिलिपि:- प्रबंध निदेशक कोषांग, बुडको को सूचनार्थ प्रेषित।

20/9/19  
प्रबंध निदेशक